भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029

****

सं. 20/2/87-हिन्दी

दिनांकः 27.09.2022

अपील

प्रिय सहयोगियों,

हिन्दी दिवस के पावन अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं !

यह सर्वविदित है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा द्वारा **14 सितम्बर, 1949** को हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। ***26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिन्दी है एवं इसकी लिपि देवनागरी है।***

2. संघ की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित होने के कारण आप सभी से मेरी यह अपील है कि एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करते हुए आप सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित करें।

3. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था- " राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। " यह भी सर्वविदित है कि राष्ट्र निर्माण में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हिन्दी का महत्व जनभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ रहा है।

4. हिन्दी एक वैज्ञानिक, व्यापक, समृद्ध, सशक्त और जीवंत भाषा है इसमें कार्य करना बहुत ही सरल है। अतः मैं, परिषद मुख्यालय और सभी केन्द्रों/संस्थानों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपना दैनिक समस्त सरकारी काम-काज अधिकतम राजभाषा हिन्दी में ही करें। इसके अतिरिक्त, मैं सभी केन्द्रों/संस्थानों के निदेशकों को यह भी सुझाव देता हूँ कि वे अपने कार्यालयों में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन करें।

5. मैं, अपील करता हूँ कि इस संबंध में भेजी जाने वाली हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जाए। राजभाषा हिंदी से संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए, जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। हम सभी को संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए।

हिन्दी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपना अधिकाधिक कार्य पूरे उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिन्दी में करेंगे। **मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक, सार्थक एवं सतत् प्रयासों** से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और परिषद में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को नया आयाम देंगे।

आर. रामकृष्णन

वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)

वितरणः

1. महानिदेशक कार्यालय 2. अपर महानिदेशक कार्यालय
3. वरि. उप महानिदेशक (प्रशा.) कार्यालय 4. वरि. वित्त सलाहकार कार्यालय
5. परिषद मुख्यालय के सभी प्रभाग प्रमुख
6. परिषद के सभी स्थाई संस्थान/केन्द्र-सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
7. मुख्यालय के सभी प्रभाग/अनुभाग 8. बॉयोइंफॉर्मेटिक्स-परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. निदेशक (रा.भा.), स्वा. एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
10. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली